

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
फर्रुखाबाद, झाँसी, ललितपुर, जालौन, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी इटावा,  
इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर,  
बाराबंकी, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर नगर, कन्नौज, बरेली, मेरठ, जी०बी० नगर,  
गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच एवं गोण्डा।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPHCE/2016-17/04/6089-35 दिनांक: 6.10.2016

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) हेतु वर्ष 2016-17 के लिए आर०ओ०पी० एफ०एम०आर० कोड सं०-K के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू० 1991.75 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. National programme for Health Care of Elderly (NPHCE) के अन्तर्गत जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेन्ड धनराशि को समायोजित करते हुये वर्ष 2016-17 में जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जनपदवार प्रथम किश्त के रूप में कुल रू० 1245.62 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है-

| Sl. No. | Name of Districts | Total Approved Amount | Total Proposed Amount for Ist Release | Uncommitted Unspent Balance | Amount released |
|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|         |                   | A                     | B                                     | C                           | D=B-C           |
| 1       | Farrukhabad       | 5525800               | 3995800                               | 5565467                     | 0               |
| 2       | Jhansi            | 5048800               | 3611800                               | 6919920                     | 0               |
| 3       | Lalitpur          | 4360900               | 3097900                               | 3317944                     | 0               |
| 4       | Jalaun            | 4433500               | 3119500                               | 6469069                     | 0               |
| 5       | Firozabad         | 6233200               | 4554175                               | 4602268                     | 0               |
| 6       | Sultanpur         | 3619000               | 1927000                               | 10050401                    | 0               |
| 7       | Raebareli         | 8325700               | 6417500                               | 6395297                     | 22203           |
| 8       | Lakhimpur Khiri   | 5393200               | 3809200                               | 7904303                     | 0               |
| 9       | Etawah            | 4479100               | 3057100                               | 6269070                     | 0               |
| 10      | Allahabad         | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 11      | Pratapgarh        | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 12      | Azamgarh          | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 13      | Basti             | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 14      | Gorakhpur         | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 15      | Varanasi          | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |
| 16      | Mirzapur          | 5780000               | 4790000                               | 0                           | 4790000         |



|              |                |                  |                  |                 |                  |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 17           | Faizabad       | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 18           | Ambedkar Nagar | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 19           | Barabanki      | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 20           | Agra           | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 21           | Mathura        | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 22           | Mainpuri       | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 23           | Aligarh        | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 24           | Kanpur Nagar   | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 25           | Kannauj        | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 26           | Bareilly       | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 27           | Meerut         | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 28           | GB Nagar       | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 29           | Ghaziabad      | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 30           | Moradabad      | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 31           | Hardoi         | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 32           | Lucknow        | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 33           | Sitapur        | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 34           | Bahraich       | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| 35           | Gonda          | 5780000          | 4790000          | 0               | 4790000          |
| <b>Total</b> |                | <b>197699200</b> | <b>158129975</b> | <b>57493739</b> | <b>124562203</b> |

- कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को व्यय करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार, मदवार विस्तृत फांट तथा विस्तृत दिशानिर्देश संलग्नक 1 पर दी जा रही है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय हेतु 09 माह की धनराशि तथा रिक्त पदों हेतु कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है तथा जनपदों द्वारा रिक्त पदों पर चयन एवं नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर करते हुये राज्य मुख्यालय को सूचित करने के पश्चात् उक्त पदों के मानदेय हेतु धनराशि पृथक से अवमुक्त की जायेगी।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।



9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

  
(आलोक कुमार)  
मिशन निदेशक  
दिनांक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPHCE/2016-17/04/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

/

(डा0 ए0बी0 सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0



| Sl. No. | Health Facilities in existing districts |              |                    | No. of Sub-Centres |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|         | Name of District                        | No. of Dist. | No. of Sub-Centres |                    |
| 1       | Forwarded                               | 12           | 26                 | 226                |
| 2       | Forwarded                               | 10           | 26                 | 192                |
| 3       | Forwarded                               | 8            | 26                 | 160                |
| 4       | Forwarded                               | 11           | 24                 | 387                |
| 5       | Forwarded                               | 17           | 49                 | 320                |
| 6       | Forwarded                               | 13           | 40                 | 248                |
| 7       | Forwarded                               | 6            | 40                 | 246                |
| 8       | Forwarded                               | 8            | 36                 | 326                |
| 9       | Forwarded                               | 3            | 23                 | 198                |
|         | Total                                   | 90           | 331                | 2350               |

1. One Deiner Hospital approved for the above and verified

\* The microclimate in valleys is warmer in these conditions, with wind being completely still and air being a little bit warmer than on the slopes.

**Director General  
Medical & Health**

**National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE)  
HR increment calculation sheet for the year 2016-17**

| HR increment calculation sheet for the year 2016-17 |                                                   |              |                                     |              |                              |                                                   |              |                                                   |              |                                                     |              |           |           |             |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Name of Districts                                   | District Hospital                                 |              |                                     |              |                              |                                                   |              |                                                   |              |                                                     | CHCs         |           |           |             | Total |
|                                                     | Consultant Medicine (2)                           |              | Nurse (6)                           |              | Physiotherapist Amount (RS.) | Hospital Attendants (2)                           |              | Sanitary Attendants (2)                           |              | Rehabilitation Worker                               |              |           |           |             |       |
|                                                     | No. Of Consultant Medicine eligible for increment | Amount (RS.) | No. Of Nurse eligible for increment | Amount (RS.) |                              | No. Of Hospital Attendants eligible for increment | Amount (RS.) | No. Of Sanitary Attendants eligible for increment | Amount (RS.) | No. Of Rehabilitation Worker eligible for increment | Amount (RS.) |           |           |             |       |
|                                                     |                                                   |              |                                     |              |                              |                                                   |              |                                                   |              |                                                     |              |           |           |             |       |
| Farrukhabad                                         | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | -         | -         | -           |       |
| Jhansi                                              | 0                                                 | -            | 4                                   | 48,000.00    | 12,000.00                    | 2                                                 | 9,000.00     | 2                                                 | 9,000.00     | 2                                                   | 9,000.00     | 0         | -         | -           |       |
| Latipur                                             | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | 12,000.00                    | 2                                                 | 9,000.00     | 2                                                 | 9,000.00     | 2                                                   | 9,000.00     | 0         | -         | 78,000.00   |       |
| Jalaun                                              | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | 30,000.00   |       |
| Firozabad                                           | 0                                                 | -            | 6                                   | 72,000.00    | 12,000.00                    | 2                                                 | 9,000.00     | 2                                                 | 9,000.00     | 1                                                   | 4,500.00     | 7         | 75,600.00 | 1,73,100.00 |       |
| Sultanpur                                           | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | -           |       |
| Raebareli                                           | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | -           |       |
| Lakhimpur                                           | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | -           |       |
| Khiri                                               | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | -           |       |
| Etawah                                              | 0                                                 | -            | 0                                   | -            | -                            | 0                                                 | -            | 0                                                 | -            | 0                                                   | -            | 0         | -         | -           |       |
| Total                                               |                                                   |              |                                     | 1,20,000.00  | 36,000.00                    |                                                   | 27,000.00    |                                                   | 22,500.00    |                                                     |              | 75,600.00 |           | 2,81,100.00 |       |

**Note:-**

1) 5% increment in salary is given to those contractual staff who had completed one or more year of service as on 01/04/2016.

**Director General  
(Medical & Health)**



**National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम (2016-2017) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश**

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 35 जनपदों में National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- वित्तीय वर्ष 2012-2013 में उक्त कार्यक्रम निम्नलिखित 9 जनपदों में चलाया जा रहा था :-

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1- रायबरेली  | 2- सुल्तानपुर   | 3- झाँसी       |
| 4- जालौन     | 5- ललितपुर      | 6- इटावा       |
| 7- फिरोजाबाद | 8- लखीमपुर खीरी | 9- फर्रुखाबाद। |

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त कार्यक्रम निम्नलिखित 26 नये जनपदों में चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 1- इलाहाबाद      | 2- प्रतापगढ़  | 3- आजमगढ़      |
| 4- बस्ती         | 5- गोरखपुर    | 6- वाराणसी     |
| 7- मिर्जापुर     | 8- फैजाबाद    | 9- अम्बेडकरनगर |
| 10- बाराबंकी     | 11- आगरा      | 12- मथुरा      |
| 13- मैनपुरी      | 14- अलीगढ़    | 15- कानपुर नगर |
| 16- कन्नौज       | 17- बरेली     | 18- मेरठ       |
| 19- गौतमबुद्धनगर | 20- गाजियाबाद | 21- मुरादाबाद  |
| 22- हरदोई        | 23- लखनऊ      | 24- सीतापुर    |
| 25- बहराइच       | 26- गोण्डा    |                |

3- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार ही किया जायेगा। जोकि ई-मेल के माध्यम से आपको भेजी जा रही है।

4- जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।

5- 26 नये जनपदों में कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में जिला 10 बेड्डेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 सुविधा की स्थापना मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6- जिला 10 बेड्डेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यों पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

- 7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला-स्वास्थ्य-समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय-प्रक्रिया के अनुसार जिला-स्वास्थ्य-समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत Operational Guideline of NPHCE में उल्लिखित तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुमोदनानुसार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति जिला-स्वास्थ्य-समिति के माध्यम से तत्काल नियमानुसार करेंगे।
- 9- क्रम संख्या-1 पर वर्णित 9 जनपदों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों की संख्या निम्नवत् है।

| क्रम संख्या | जनपद का नाम  | जिला अस्पताल की संख्या | सामु0स्वा0केन्द्र की संख्या | प्राथ0स्वा0केन्द्र की संख्या | उपकेन्द्रों की संख्या |
|-------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1           | फिरोजाबाद    | 1                      | 12                          | 52                           | 220                   |
| 2           | फर्रुखाबाद   | 1                      | 10                          | 26                           | 192                   |
| 3           | इटवा         | 1                      | 08                          | 27                           | 169                   |
| 4           | लखीमपुर-खीरी | 1                      | 11                          | 54                           | 387                   |
| 5           | रायबरेली     | 1                      | 17                          | 49                           | 327                   |
| 6           | सुल्तानपुर   | 1                      | 13                          | 40                           | 245                   |
| 7           | जालौन        | 1                      | 06                          | 30                           | 286                   |
| 8           | झाँसी        | 1                      | 08                          | 36                           | 326                   |
| 9           | ललितपुर      | 1                      | 05                          | 23                           | 198                   |

- 10- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जिला-स्वास्थ्य-समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार एवं जनपदवार विवरण संलग्न है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

#### जिला अस्पताल हेतु :-

- एफ0 एम0 आर0 कोड K.2.1.1 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 26 नये जनपदों जनपदों में जीरियाटिक यूनिट की स्थापना हेतु अनावर्तक मद के अन्तर्गत रू0 40.00 लाख प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.2.1.2 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 26 नये जनपदों में जीरियाटिक यूनिट की Machinery & Equipments हेतु अनावर्तक मद के अन्तर्गत रू0 3.5 लाख प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.1 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों में आवर्तक मद में Machinery & Equipments हेतु रू0 1.5 लाख प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.2 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों को आवर्तक मद के अन्तर्गत Drugs & Consumable हेतु रू0 5.00 लाख प्रति जनपद तथा 26 नये जनपदों हेतु 3.00 लाख प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।



- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.3 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत Training of Doctors and staff from CHC's and PHC's हेतु रू0 40,000.00 प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.4 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत Public Awareness & IEC हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.6 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत कार्यरत 2 डाक्टर (कन्सल्टेन्ट मेडिसिन) (संविदा कर्मचारी) का 12 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 3 माह का मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.7 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत 6 नर्स (संविदा कर्मचारी) का 12 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 3 माह के मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.8 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत कार्यरत फिजियोथिरेपिस्ट (संविदा कर्मचारी) का 12 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 03 माह का मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.9 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत कार्यरत 2 हॉस्पिटल अटेन्डेन्ट (संविदा कर्मचारी) को 12 माह का मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 03 माह का मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.1.10 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में समस्त 35 जनपदों को आवर्तक मद के अर्न्तगत कार्यरत 2 सेनेटरी अटेन्डेन्ट (संविदा कर्मचारी) को 12 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 03 माह का मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।

#### सी0एच0सी0 (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) हेतु :-

- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.2.1 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों में प्रशिक्षण हेतु रू0 0.30 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामु0स्वा0केन्द्र की संख्या उपरोक्त तालिका के अनुसार) धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.2.3 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सामु0स्वा0केन्द्र की संख्या उपरोक्त तालिका के अनुसार) पर कार्यरत रिहैबिलिटेशन वर्कर का 12 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों के सापेक्ष 3 माह का मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।

#### पी0एच0सी0 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) हेतु :-

एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.3.1 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों में प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु रू0 300.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्राथ0स्वा0केन्द्र की संख्या उपरोक्त तालिका के अनुसार) धनराशि आवंटित की गयी है।



उपकेन्द्रों हेतु :-

- एफ0 एम0 आर0 कोड K.1.4.1 पर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व के 9 जनपदों में उपकेन्द्रों पर Aids and Appliances हेतु रू0 3000.00 प्रति उपकेन्द्र धनराशि आवंटित की गयी है।
- 11- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों जो कि दिनांक 01.04.2016 को 1 या 1 से ज्यादा वर्ष की सेवा दे चुके हो को 5 प्रतिशत का मानदेय वृद्धि (HR increasement calculation sheet for the year 2016-17 के अनुसार) प्रदान किया गया है। जो कि जनपदों के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन रिपोर्ट के आधार पर आधारित है।
- 12- मुख्य चिकित्साधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाये।
- 13- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा कर्मचारियों का मानदेय जारी जनपदवार मदवार अनुदान तालिका में पदवार अंकित किया गया है।
- 14- अनावर्तक मद के अन्तर्गत जारी धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक में अवश्य कर लिया जाय।
- 15- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु विज्ञापन टी0ओ0आर Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार होगा, जबकि मानदेय अनुदान तालिका में पदवार अंकित मानदेय के अनुसार होगा।
- 16- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जिला-स्वास्थ्य-समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2017 के पूर्व कर लिया जाये।

निदेशक (स्वास्थ्य)/  
राज्य नोडल अधिकारी,  
एन0सी0डी0